



## उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक:

90 / प्र-1 / 2005-0424 / 2017

दिनांक 27-01-2017

## कार्यालय ज्ञाप


## कर्मियों को कोड ऑवेंटन हेतु आवेदन पत्र में नियुक्ति/तैनाती का त्रुटिपूर्ण विवरण का प्रेषण।

आप अवगत ही हैं कि उत्तर प्रदेश जल निगम में online PIS/ Payroll प्रणाली वर्ष 2015 से प्रभावी है। गत माह जल निगम में लिपिक/सहायक अभियन्ता/जूनियर अभियन्ता की नियुक्ति की गई है। इन समस्त कर्मियों के कोड, online प्रणाली के माध्यम से आवेदन कर प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय द्वारा की जा रही है। क्षेत्र स्तर से प्राप्त आवेदनो में अधिकांश कार्यालयों द्वारा नियुक्ति तथा तैनाती से सम्बन्धित विवरण तथा कर्मी कापदनाम आदि त्रुटिपूर्ण भरा जा रहा है जिससे मुख्यालय स्तर से कोड ऑवेंटन में अत्याधिक कठिनाई/विलम्ब हो रहा है।

उक्त सम्बन्ध में समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को e-mail प्रेषित कर अनुरोध भी किया जा चुका है। विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त त्रुटिपूर्ण आवेदनो के सन्दर्भ में सम्बन्धित कार्यालयों को दूरभाष पर भी अवगत कराया जा रहा है, परन्तु इन सबके बावजूद अभी भी त्रुटिपूर्ण आवेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कार्यालय द्वारा बिना किसी परीक्षण के आवेदन की हार्डप्रति मुख्यालय प्रेषित की जा रही है जिससे न केवल कोड ऑवेंटन में विलम्ब हो रहा है अपितु मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित अनुभाग का समय/श्रम भी व्यर्थ हो रहा है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुरोध है-


1. स्वीकर्ता/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष मुख्यालय स्तर से दी गई स्वीकृति/नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित विवरण/सन्दर्भ अंकित किया जाये।
2. तैनाती/कार्यभार ग्रहण करने के समक्ष क्षेत्र स्तर से निर्गत तैनाती आदेश, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित कर्मी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है, का सन्दर्भ तथा आदेश निर्गत करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारी का विवरण अंकित किया जाये।
3. प्राधिकारी से सम्बन्धित तीन स्तम्भ में क्रमशः सम्बन्धित प्राधिकारी का पदनाम, जनपद जहाँ कार्यालय स्थित है तथा कार्यालय का नाम अंकित किया जाना चाहिये। क्षेत्र द्वारा पदनाम किसी का तथा जनपद/कार्यालय में किसी और का विवरण अंकित किया जा रहा है, जबकि उक्त तीनों ही विवरण एक ही प्राधिकारी से सम्बन्धित हैं।

यद्यपि मुख्यालय स्तर से क्षेत्र स्तर से प्रेषित त्रुटिपूर्ण आवेदनो पर भी यथासम्भव संशोधन कर कोड ऑवेंटन किये जा रहे हैं, परन्तु कई आवेदनो में सही विवरण न प्राप्त होने के कारण कोड ऑवेंटन सम्भव नहीं है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रेषक को अलग मूल रूप में प्रत्यावर्तित किये जा रहे हैं। उक्तानुसार आवेदन करने में किसी प्रकार कठिनाई की स्थिति में आवेदन के प्रेषण से पूर्व उपसचिव (प्रशासन) से वार्ता कर उसका निराकरण कर लिया जाये ताकि समयान्तर्गत सभी सम्बन्धित कर्मियों को कोड ऑवेंटन किया जा सके।

  
(ज्ञानेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव)  
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (मुख्यालय) लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र),/निदेशक सी० एण्ड डी० एस० उत्तर प्रदेश जल निगम।
4. मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक), निदेशक सी० एण्ड डी० एस० (नलकूप विंग) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ महाप्रबन्धक उत्तर प्रदेश जल निगम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. मुख्यलेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।

  
सचिव (प्रशासन)